RB/Estt. No. 123/2006

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2006/PM1/18 **New Delhi, dated 30.08.2006**

The General Managers (P)
All Indian Railways and PUs
(As per standard list)

Sub:- Introduction of Objective Type Questions in the written test held as part of selection for promotion to posts classified as 'Selection' – extending the provision of 50% objective type questions to lower grade selection posts.

As the Railways are aware in terms of para 219(c) of IREM Vol. I,1989 while the written test held as part of the selection for promotion to the highest grade selection post in a category includes objective type questions for about 50% (in the range of 45%-55%) of the total marks for the written test, the one held for promotion to lower grade selection posts the extent of objective type questions is limited to 25% (in the range of 20% - 30%) of the total marks for the written test.

2. A demand has been raised in the forum of PNM- AIRF that the existing provision of setting up of 50% objective type questions in written tests held as part of selection for promotion to highest grade selection post in a category may be extended to selection posts in lower grades also.

3. The matter has been carefully considered by the Board and it has been decided that the existing provision of setting up of objective type questions to the extent of 50% of the total marks prescribed for written test held as part of selection for promotion to the highest grade selection post in a category should be extended to all selection posts in lower grades also.

3.1. The opportunity is also taken to clarify that objective type questions besides including the type of questions in the form of 'multiple choice', 'filling up the blanks', "tick 'true' or 'false' ", " 'right' or 'wrong' ", 'match the following' may include questions requiring one word/line answer, " 'yes' or 'no' ", naming e.g. 5 states, Railways, posts, grades etc.. This is to avoid unnecessary rigidity in framing the questions.

4. Accordingly, Indian Railway Establishment Manual Vol.I, 1989 may be amended as per **ACS No.186** enclosed.

Please acknowledge receipt.

(Chander Shekhar)
Dy. Director Estt.(NG)I,
Railway Board.

D.A.: **ACS No.186.**

No. E(NG)I-2006/PM1/18 **New Delhi. Dated 30-08-2006**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.

10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.

11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

12. Director General & Ex-officio General Manager, RDSO, Lucknow.

13. Adviser(Safety), Railway Board, New Delhi.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(N) and MSR(V).
PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary.
PPSs to all Additional Members, Advisers, DG/RHS and DG/RPF.

PSs to EDE, EDE(N), EDE(Res.), EDE(RRB), EDE(GC), ED(T&MPP), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G), JS(E&P) and JS and IG/RPF.

D(OL), DPC-I & II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), Dir.(Safety) II & III, DE(N)II, DE(R), JDE(Rep)I & II, DE(D&A), DE(LL), JDE(RRB), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DDE(D&A), DDV(A&P), DDE(Rep) II, DD(OL)I&II, E(D&A), E(NG)II, E(Rep)I, II & III, E(SCT)I & II, E(RRB), ERB-II, ERB-V, PC-III, IV & V, E(P&A)I & II, CE-I, II & III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III (5 spares) & Code Revision Cell (5 spares)

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I (1989 EDITION)

CHAPTER –II, SECTION 'B'

RULES GOVERNING PROMOTION OF GROUP 'C' STAFF

ADVANCE CORRECTION SLIP No.186.

For the existing Clause (i) after sub-para (c) of para 219 substitute the following:-

"(i). In the written test held as part of the selection for promotion to the posts classified as 'Selection', objective type questions should be set for about 50% (in the range of 45% to 55%) of the total marks for the written test."

(**Authority**: Railway Board's letters No.E(NG)I-2000/PM1/41 dt.08.03.2002 & dt.07.08.2003 and No. E(NG)I-2006/PM1/18 dt.30.08.2006)

रे.बो./स्था. सं. 123/2006

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी) I-2006/पी एम 1/18 नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2006

महाप्रबंधक (का.),
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : 'चयन' के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति हेतु चयन के भाग के रूप में ली जाने वाली लिखित परीक्षा में विषयपरक प्रश्नों को शामिल करना- 50% विषयपरक प्रश्नों की शर्त को निम्न ग्रेड चयन पदों के लिए लागू करना.

जैसा कि रेलों को जानकारी है, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द -I, 1989 के पैरा 219 (ग) के अनुसार किसी कोटि में उच्चतम ग्रेड के चयन पद में पदोन्नति के लिए चयन के भाग के रूप में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंकों के लगभग 50% (45%-55% की रेंज में) के बराबर विषयपरक प्रश्न शामिल होते हैं, जबकि निम्न ग्रेड चयन पदों पर पदोन्नति के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में विषयपरक प्रश्न लिखित परीक्षा के कुल अंकों के 25% (20%-30% की रेंज में) तक सीमित होते हैं.

2. स्थायी वार्ता तंत्र (पी एन एम)- आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन (ए आई आर एफ) की फोरम में यह मांग की गई है कि किसी कोटि में उच्चतम ग्रेड के चयन पद में पदोन्नति के लिए चयन के भाग के रूप में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 50% विषयपरक प्रश्न देने की मौजूदा व्यवस्था को निम्न ग्रेड के पदों पर चयन के लिए भी लागू किया जाए.

3. इस मामले पर बोर्ड में ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि किसी कोटि में उच्चतम ग्रेड के चयन पद में पदोन्नति के लिए चयन के भाग के रूप में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में निर्धारित कुल अंकों के 50% की सीमा तक विषयपरक प्रश्न देने की मौजूदा व्यवस्था को निम्न ग्रेड के सभी चयन पदों पर भी लागू किया जाए.

....2/-

3.1 इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विषयपरक प्रश्नों में 'बहुविकल्पीय प्रश्न', 'खाली स्थान भरना', " 'सत्य' या 'असत्य' ", " 'सही' या 'गलत' को टिक करना", "निम्नलिखित को मिलाएं" के रूप में प्रश्नों के अलावा एक शब्द/लाइन के उत्तर, " 'हाँ' या 'नहीं' " वाले प्रश्न, 5 राज्यों, रेलों, पदों, ग्रेडों आदि नाम बताने संबंधी प्रश्न भी शामिल किए जाएं. ऐसा प्रश्नों को बनाते समय अनावश्यक दृढ़ता से बचने के लिए किया गया है.

4) तद्नुसार, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I, 1989 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 186 के अनुसार संशोधन किया जाए.

कृपया पावती दें.

चंद्रशेखर
(चंद्र शेखर)
उप निदेशक स्था. (अराज) I
रेलवे बोर्ड

संलग्नक : अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 186.

सं. ई (एन जी) I-2006/पी एम 1/18 **नई दिल्ली, दि. 30.08.2006**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां) .
4. प्रधान सचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियां).
5. प्रधान सचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियां).
6. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली-110006, पी.ओ.बॉक्स नं.2032.
7. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ.
12. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक अ.अ.मा.सं., लखनऊ.
13. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :-

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (एन) तथा रेल राज्य मंत्री (वी) के निजी सचिव.
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजी., सचिव के प्रमुख निजी सचिव तथा अन्य.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द - I (1989 संस्करण)

अध्याय-II, खंड 'ख'

समूह 'ग' कर्मचारियों की पदोन्नति को शासित करने वाले नियम

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 186.

पैरा 219 के उप-पैरा (ग) के बाद मौजूदा खंड (i) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें :-

" (i) 'चयन' के रूप में वर्गीकृत पदो पर पदोन्नति हेतु चयन के भाग के रूप में ली जाने वाली लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंकों के लगभग 50% के बराबर (45%-55% की रेंज में) के बराबर विषयपरक प्रश्न रखे जाएं"

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का पत्र सं.ई (एन जी) I/2000/पी एम 1/41 दिनांक 08.03.2002 तथा दिनांक 07.08.2003 और पत्र सं. ई (एन जी) I-2006/पी एम/1/18 दिनांक 30.08.2006).